

दूरभाष: 7052777781

प.सं./510/एस.वी./ट्रेनिंग/यूपीएसएस-2022  
कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय  
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल  
सरोजिनी नगर, लखनऊ।

दिनांक: 14 सितम्बर 2022

श्री/श्रीमती .....

.....

.....

विषय : विलम्ब शुल्क के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय/महोदया,


1. आपका पुत्र/पुत्री ..... स्कूल संख्या ..... सदन ..... कक्षा ..... का/की छात्र/छात्रा है। विदित हो कि प्रायः यह देखा गया है कि कई अभिभावकों द्वारा विद्यालय शुल्क समय से जमा नहीं किया जाता है जिसके कारण छात्रों को मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने में वित्तीय कठिनाई होती है। इस समस्या के दृष्टिगत विद्यालय की स्थानीय प्रशासन समिति की दिनांक 05 अगस्त 2022 को संपन्न बैठक में निम्न निर्णय लिया गया है :

“ विद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क समय से न जमा करने पर रुपये 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क लगेगा”।

2. जैसा कि आपको ज्ञात है कि प्रत्येक सत्र की शुल्क की प्रथम किश्त 01 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य एवं द्वितीय किश्त 01 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के मध्य जमा करना अनिवार्य है। अतः प्रत्येक सत्र में यदि आपकी प्रथम किश्त 10 अप्रैल एवं द्वितीय किश्त 10 अक्टूबर तक जमा नहीं होती है तो उसके पश्चात् आपको रुपये 100/- प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। एक माह पश्चात् तक अर्थात् प्रथम किश्त 10 मई तक एवं द्वितीय किश्त 10 नवम्बर तक जमा न करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी एवं इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

3. जिन छात्र / छात्राओं का सत्र 2022-23 का शुल्क जमा नहीं है उन्हें आदेशित किया जाता है कि बकाया शुल्क 30 सितम्बर 2022 तक अवश्य जमा कर दें अन्यथा रुपये 100/- प्रति दिन की दर से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

भवदीय

  
(राजेश राघव)

कर्नल

प्रधानाचार्य